उत्तरांचल शासन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

संख्या : 16/चि0-2-2002/7(चि0)/2002 टी.सी.

देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2001

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय मातृत्व लाभ [illegible] सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की [illegible] निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :-

1. जिलाधिकारी : अध्यक्ष
2. जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी : सदस्य-सचिव/नोडल अधिकारी
3. मुख्य विकास अधिकारी : सदस्य
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस. : सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी : सदस्य
6. प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि : सदस्य

2. भारत सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु प्रदत्त धनराशि जमा करने हेतु [illegible] समिति का एक अलग खाता होगा तथा समिति द्वारा प्राप्त धनराशि को आवश्यक[illegible] विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी [illegible] अधिकारी को आवंटित की जायेगी एवं नगरीय क्षेत्र हेतु सम्बन्धित [illegible] चिकित्साधिकारी को धनराशि आवंटित की जायेगी।

3. विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रभारी चिकित्साधिकारी/[illegible] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये संबंधित उप मुख्य चिकित्सा[illegible] योजना का अलग बैंक खाता खोलेंगे जिसमें विकास खण्ड/ नगर क्षेत्र [illegible] आवंटित/स्वीकृत धनराशि जमा की जायेगी तथा उन्हीं के द्वारा लाभार्थियों के [illegible] वितरित की जायेगी।

4. योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु एक निश्चित प्रारूप [illegible] कि महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तरांचल द्वारा प्रेषित किया जायेगा [illegible] प्रारूप ए.एन.एम./आई.सी.डी.एस. के आंगनवाडी केन्द्र/ ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ [illegible] निगम/नगर परिषद के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को वितरित किये जायेंगे। [illegible] ए.एन.एम. का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि योजना के अन्तर्गत [illegible] अधिक संख्या में पात्रता की श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों के आवेदन पत्र पूर्ण करा[illegible] जायें। समस्त औपचारिकता पूर्ण कराते हुये लाभार्थी स्वयं अथवा ए.एन.एम. के माध्यम [illegible] आवेदन पत्र विकास खण्ड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र [illegible] प्रभारी चिकित्साधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों [illegible]
[illegible]

कार्ड की प्रति संलग्न की जाती है तो वह मान्य होगी अथवा संबंधित विकास खण्ड अधिकारी से चिकित्साधिकारी द्वारा आख्या प्राप्त की जानी होगी। तदोपरान्त प्रभारी चिकित्साधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वीकृति प्रदान करनी होगी। नगरीय क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित उप मुख्य चिकित्साधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा उन्हीं के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर स्वीकृति की जायेगी। आवेदन पत्रों के साथ बी.पी.एल. के राशन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। राशन कार्ड न होने की स्थिति में आय की जांच संबंधित उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा संबंधित तहसीलदार से करायी जायेगी। नगरीय क्षेत्र की घोषित मलिन बस्तियों में जांच डूडा के कार्यालय से भी करायी जा सकती है। आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त अधिकारियों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना की जिला समिति में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। लाभार्थियों को धनराशि का वितरण ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य समिति की बैठक/ आर.सी. एच. कैम्पों एवं अन्य कोई सामुहिक शिविरों जिसमें संबंधित ग्राम/ क्षेत्र के लोग भी उपस्थित हों में नगद रूप में की जायेगी।

5. लाभार्थियों की पात्रता भारत सरकार के मानक के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :-

1. लाभार्थियों की आयु 19 वर्ष से ऊपर होनी चाहिये।
2. लाभार्थी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिला/बी.पी.एल. राशन कार्ड धारी होगी।
3. लाभार्थी को केवल प्रथम दो जीवित प्रसव पर ही यह सुविधा अनुमन्य होगी।
4. लाभार्थी को यह सुविधा प्रसव से 8 से 12 सप्ताह पूर्व अवश्य मिल जानी चाहिये।
5. लाभार्थी की गर्भावस्था का सत्यापन उपकेन्द्र में तैनात ए.एन.एम. तथा हैल्थ पोस्ट में तैनात महिला चिकित्साधिकारी/ प्रसवोत्तर केन्द्र की महिला चिकित्साधिकारी/ जिला महिला चिकित्सालय की चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसव से 8-12 सप्ताह पूर्व रू0 500/- दिये जायेंगे।

7. योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नियमित रूप से जिला समिति द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिला समिति उत्तरदायी होगी। मुख्य चिकित्साधिकारी योजना के लिये आवश्यकतानुसार विकासखण्ड वार मासिक एवं वार्षिक कार्यभार निर्धारित करेंगे।

8. योजना का जनपद स्तर पर वृहद प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी अपने अधीन प्रचार-प्रसार शाखा/ जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना

अधिकारी की सेवाओं का भी उपयोग करेंगे। धनराशि के आवंटन एवं व्यय की समप्रेक्षा भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार समय-समय पर की जायेगी।

9. जिन जनपदों द्वारा अभी तक विगत वर्षो के उपयोगिता प्रमाण-पत्र, आडिट रिपोर्ट एवं भारत सरकार को नहीं भेजे गये हों, उन्हें अविलम्ब भारत सरकार को भेजे जाने की कार्यवाही की जाये।

10. प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनसंख्या की प्रजनन दर को ध्यान में रखते हुये तथा बी.पी.एल. परिवारों का प्रतिशत देखते हुये योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे जिसके सापेक्ष अनुश्रवण किया जायेगा।

11. मुख्य चिकित्साधिकारी जोकि योजना के सदस्य-सचिव/नोडल अधिकारी भी हैं, के द्वारा योजना की मासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तरांचल को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तरांचल द्वारा सभी जनपदों की सूचना संकलित कर समय-समय पर शासन तथा राज्य स्तरीय समिति के सम्मुख अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या : 16(1)/चि0-2-2002/7(चि0)/2002 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निदेशक, आई.सी.डी.एस., उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस., उत्तरांचल।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव